अनुबंध 7.1
(पैरा 7.4)

संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003

[15 जनवरी, 2004]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. नए अनुच्छेद 268क को जोड़ना - संविधान के अनुच्छेद 268 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किए जाएंगे और भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संग्रहीत तथा विनियोजित किए जाएंगे। "268क, सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे और भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाएंगे -(1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे और ऐसा कर खंड (2) में उपबंधित रीति से भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाएगा।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में, खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, उद्गृहीत ऐसे किसी कर के आगमों का -

(क) भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण;

(ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन, संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें संसद विधि द्वारा बनाए।"।

3. अनुच्छेद 270 में संशोधन - संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड (1) में, "अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 268 अनुच्छेद 268क और 269" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

4. सातवीं अनुसूची में संशोधन - संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची 1-संघ सूची में, प्रविष्टि 92ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"92ग. सेवाओं पर कर।"।

टी.के विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार

अनुबंध 7.2

(पैरा 7.6, 7.12 और 7.13)

विभाजनीय करों में अनुशंसित हिस्से : पहला से ग्यारहवां वित्त आयोग

वित्त आयोग	**आय कर**	**संघ उत्पाद शुल्क (मूल)**	
	राज्य अंश(%)	**राज्य अंश(%)**	**शामिल मदें**
1	**2**	**4**	**5**
पहला	55	40	3
दूसरा	60	25	8
तीसरा	66.7	20	35
चौथा	75	20	सभी
पाचवां	75	20	सभी
छठा	80	20	सभी
सातवां	85	40	सभी
आठवां	85	45	सभी
नवां	85	45	सभी
दसवां	77.5	47.5	सभी
ग्यारहवां	29.5	29.5	सभी कर

स्रोतः वित्त आयोग की रिपोर्टें, और विट्ठल बी.पी.आर और एम.एल. शास्त्री (2001) भारत में राजकोषीय संघ; ओयूपी, नई दिल्ली।

अनुबंध 7.3
(पैरा 7.14)

राज्यों को केन्द्रीय करों का कर हस्तान्तरण - 1979-80 से 2001-02

वर्ष	कर हस्तांतरण (टीडी)	कुल कर राजस्व प्राप्तियां (जीटीआर)	होटल प्राप्तियां कर और ब्याज कर	संघ राज्यों से- कर प्राप्तियां (टीयूटी)	सकल विभाजनीय कर राजस्व प्राप्तियां (3-4-5)	कर संग्रहण प्रभार (सीओसी)	उपकर एवं अधिभार (सी और एस)	एनसी सीएफ	निवल विभाजनीय कर राजस्व प्राप्तियां (6-7-8-9)	कर हस्तांतरण % निवल विभाजनीय कर राजस्व प्राप्तियां (2/10)
					(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1979-80	3,405	11,973	0	196	11,777	121	366		11,291	30.16
1980-81	3,792	13,180	0	246	12,934	137	298		12,499	30.34
1981-82	4,274	15,847	2	307	15,539	148	356		15,035	28.43
1982-83	4,639	17,696	266	344	17,086	177	494		16,415	28.26
1983-84	5,246	20,722	178	381	20,164	207	1,249		18,707	28.04
7वां वि.आ.	**21,356**	**79,418**	**445**	**1,473**	**77,500**	**790**	**2,764**		**73,947**	**28.88**
1984-85	5,777	23,471	171	443	22,857	242	1,285		21,330	27.08
1985-86	7,491	28,670	58	524	28,089	279	1,310		26,500	28.27
1986-87	8,476	32,839	1	608	32,230	364	1,182		30,684	27.62
1987-88	9,598	37,666	9	709	36,948	426	2,071		34,450	27.86
1988-89	10,668	44,473	3	866	43,604	465	2,376		40,762	26.17
8वां वि.आ.	**42,009**	**167,119**	**242**	**3,149**	**163,728**	**1,776**	**8,225**		**153,727**	**27.33**
1989-90	13,231	51,635	7	953	50,675	511	3,420		46,744	28.31
1990-91	14,534	57,575	0	1,100	56,475	557	3,334		52,585	27.64
1991-92	17,197	67,361	306	1,265	65,790	640	3,463		61,687	27.88
1992-93	20,524	74,639	716	1,493	72,430	756	3,156		68,517	29.95
1993-94	22,240	75,742	728	1,185	73,830	849	3,025		69,956	31.79
1994-95	24,843	92,297	802	218	91,278	931	3,664		86,683	28.66
9वां वि.आ.	**112,569**	**419,250**	**2,552**	**5,261**	**411,438**	**3,733**	**16,642**		**391,063**	**28.79**
1995-96	29,285	111,224	1,171	246	109,808	1,115	4,078		104,615	27.99
1996-97	35,061	128,762	1,713	315	126,733	1,309	4,197		121,227	28.92
1997-98	35,954	139,220	1,207	329	137,684	1,746	3,423		132,515	27.13
1998-99	39,145	143,797	1,264	323	142,210	1,936	3,419		136,855	28.60
1999-00	43,481	171,752	1,212	362	170,179	2,034	4,775		163,369	26.62
10वां वि.आ.	**182,925**	**694,756**	**6,568**	**1,575**	**686,613**	**8,141**	**19,892**		**658,580**	**27.78**
2000-01	51,688	188,603	415	483	187,705	2,197	5,655	**91**	179,762	28.75
2001-02	52,842	187,060	190	543	186,326	2,299	4,175	**686**	179,167	29.49
11वां वि.आ.	**104,529**	**375,663**	**606**	**1,026**	**374,031**	**4,496**	**9,830**	**777**	**358,929**	**27.93**

स्रोतः संघीय सरकार के वित्तीय लेखे (विभिन्न श्रेणी) ।

टिप्पणीः कर हस्तान्तरण (कालम 1) आंकड़ों के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है। ब्याज कर और होटल प्राप्तियां कर विभाजनीय करों में शामिल नहीं है।

मोटे आंकड़े आयोगवार औसत के हैं।

अनुबंध 7.4
(पैरा 7.23)

उत्तरोत्तर वित्त आयोगों में कर हस्तान्तरण के लिए प्रयुक्त मानदंड एवं भार

वित्त आयोग	**जनसंख्या**	**अंशदान**	**अवर्गीकृत**	**पिछड़ापन**	**आय अन्तर**	**प्रति व्यक्ति आय के विलोम**
पहला (1952-57)						
आय कर : 55%	80	20				
संघ उत्पाद : 40%	100					
दूसरा (1957-62)						
आय कर : 60%	90	10				
संघ उत्पाद : 25%	90		10			
तीसरा (1962-66)						
आय कर : 66.66%	80	20				
संघ उत्पाद : 20%			100			
चौथा (1966-69)						
आय कर : 75%	80	20				
संघ उत्पाद : 20%	80			20		
पाचवां (1969-74)						
आय कर : 75%	90	10				
संघ उत्पाद : 20%	80			6.66	13.34	
छठा (1974-79)						
आय कर : 80%	90	10				
संघ उत्पाद : 20%	75				25	
सातवां (1979-84)						
आय कर : 85%	90	10				
संघ उत्पाद : 40%	25					25
आठवां (1984-89)						
आय कर : 85%	22.5	10			45	22.5
संघ उत्पाद : 45%	25				50	25
नवां (1989-90)						
आय कर : 85%	22.5	10			45	11.25
संघ उत्पाद : 40%	25				50	12.5
नवां (1990-95)						
आय कर : 85%	22.5	10		11.25	45	11.25
संघ उत्पाद : 45%	25			12.5	33.5	12.5
दसवां (1995-2000)						
आय कर : 77.5%	20				60	
संघ उत्पाद : 47.5%	20				60	
ग्यारहवां (2000-05)						
सभी संघ कर : 29.5%	10				62.5	

अनुबंध 7.4 *(जारी....)*

वित्त आयोग	गरीबी	राजस्व समानीकरण	आयोजना-भिन्न घाटा	समायोजित क्षेत्र	अवसंरचना अंतर	राजकोषीय आत्म निर्भरता
पहला (1952-57)						
आय कर : 55%						
संघ उत्पाद : 40%						
दूसरा (1957-62)						
आय कर : 60%						
संघ उत्पाद : 25%						
तीसरा (1962-66)						
आय कर : 66.66%						
संघ उत्पाद : 20%						
चौथा (1966-69)						
आय कर : 75%						
संघ उत्पाद : 20%						
पाचवां (1969-74)						
आय कर : 75%						
संघ उत्पाद : 20%						
छठा (1974-79)						
आय कर : 80%						
संघ उत्पाद : 20%						
सातवां (1979-84)						
आय कर : 85%						
संघ उत्पाद : 40%	25	25				
आठवां(1984-89)						
आय कर : 85%						
संघ उत्पाद : 45%						
नवां (1989-90)						
आय कर : 85%	11.25					
संघ उत्पाद : 40%	12.5					
नवां (1990-95)						
आय कर : 85%						
संघ उत्पाद : 45%			16.5			
दसवां (1995-2000)						
आय कर : 77.5%				5	5	10
संघ उत्पाद : 47.5%				5	5	10
ग्यारहवां (2000-05)						
सभी संघ कर : 29.5%			7.5	7.5	5	7.5

अनुबंध 7.5
(पैरा 7.25)

बारहवें वित्त आयोग को राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए अपने ज्ञापन में सुझाए गए मानदंड एवं भार

राज्य	जन-संख्या	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या	आय अंतर	क्षेत्र	अवसंरचना की सूची	कर प्रयास	राजकोषीय अनुशासन	कृषि*
आंध्र प्रदेश	25		25		10	10	10	
अरुणाचल प्रदेश								
असम			70		15	7.5	7.5	
बिहार	10		65		15		10	
छत्तीसगढ़			62.5	10	10	7.5		
गोवा								
गुजरात	88	1.5	10.5					
हरियाणा	60	5	10	5		7.5	7.5	
हिमाचल प्रदेश								
जम्मू और कश्मीर								
झारखंड	10			7.5	7.5	5	2.5	
कर्नाटक	10		25	5		20	5	20
केरल	80					10	10	
मध्य प्रदेश								
महाराष्ट्र	30	25	25	10		5	5	
मणिपुर								
मेघालय								
मिजोरम								
नागालैंड								
उड़ीसा								
पंजाब	70		20				10	
राजस्थान	5		55	20	10	5	5	
सिक्किम								
तमिलनाडु	40		10			40		
त्रिपुरा	12.5		62.5	7.5	7.5	5		
उत्तर प्रदेश	50							
उत्तरांचल	10		47.5	7.5	10	7.5	7.5	
पश्चिम बंगाल								

अनुबंध 7.5 *(जारी...)*

राज्य	केन्द्रीय कर राजस्व में राजस्व	सिंचाई प्रयास**	शामिल वन***	स्थानीय निकायों से हस्तांतरण	एचआरडी में व्यय (निवेश)	सृजित नए राज्य	पिछड़ेपन का सूचकांक
आंध्र प्रदेश				10	10		
अरुणाचल प्रदेश							
असम							
बिहार							
छत्तीसगढ़			10				
गोवा							
गुजरात							
हरियाणा	5						
हिमाचल प्रदेश							
जम्मू और कश्मीर							
झारखंड						5	62.5
कर्नाटक		10					
केरल							
मध्य प्रदेश							
महाराष्ट्र							
मणिपुर							
मेघालय							
मिजोरम							
नागालैंड							
उड़ीसा							
पंजाब							
राजस्थान							
सिक्किम							
तमिलनाडु	10						
त्रिपुरा			5				
उत्तर प्रदेश							50
उत्तरांचल			10				
पश्चिम बंगाल							

टिप्पणीयां:

* एनएसडीपी में कृषि अंश।

** हाल ही की अवधि का कुल कृषि क्षेत्र में सकल सिचिंत क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में।

*** वन क्षेत्र के रखरखाव पर किया गया व्यय

$ 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों पर अधिक व्यय।

@ सृजित नए राज्यों के समक्ष अधिक व्यय की स्थिति।

अनुबंध 7.6
(पैरा 7.27)

राज्यों की जनसंख्या

(करोड़)

राज्य	**1971**	**2001**
आंध्र प्रदेश	4.35	7.62
अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.11
असम	1.46	2.67
बिहार	4.21	8.30
छत्तीसगढ़	1.16	2.08
गोवा	0.08	0.13
गुजरात	2.67	5.07
हरियाणा	1.00	2.11
हिमाचल प्रदेश	0.35	0.61
जम्मू और कश्मीर	0.46	1.01
झारखंड	1.42	2.69
कर्नाटक	2.93	5.29
केरल	2.13	3.18
मध्य प्रदेश	3.00	6.03
महाराष्ट्र	5.04	9.69
मणिपुर	0.11	0.23
मेघालय	0.10	0.23
मिजोरम	0.03	0.09
नागालैंड	0.05	0.20
उड़ीसा	2.19	3.68
पंजाब	1.36	2.44
राजस्थान	2.58	5.65
सिक्किम	0.02	0.05
तमिलनाडु	4.12	6.24
त्रिपुरा	0.16	0.32
उत्तर प्रदेश	8.38	16.62
उत्तरांचल	0.45	0.85
पश्चिम बंगाल	4.43	8.02
सभी राज्य	**54.31**	**101.21**

स्रोतः भारत के महापंजीयक

टिप्पणीः 1971 की जनगणना के बाद नए सृजित राज्यों की जनसंख्या, 2001 की जनगणना के समय उनके क्षेत्राधिकार के आधार पर पुनः की गई है।

अनुबंध 7.7
(पैरा 7.29)

प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (तुलनीय)

(रुपए)

राज्य	**1999-2000**	**2000-01**	**2001-02**	**औसत**
आंध्र प्रदेश	16,754	19,036	20,818	18,869
अरुणाचल प्रदेश	15,277	16,574	17,886	16,579
असम	11,244	12,763	12,857	12,288
बिहार	6,053	7,074	6,491	6,539
छत्तीसगढ़	13,346	12,867	14,918	13,710
गोवा	52,597	57,663	59,538	56,599
गुजरात	22,223	21,470	24,432	22,708
हरियाणा	25,103	25,958	27,706	26,256
हिमाचल प्रदेश	22,128	25,118	27,040	24,762
जम्मू और कश्मीर	18,303	17,671	18,423	18,132
झारखंड	12,576	10,564	12,011	11,717
कर्नाटक	19,209	21,132	21,769	20,703
केरल	21,547	23,573	23,352	22,824
मध्य प्रदेश	13,489	12,572	13,960	13,340
महाराष्ट्र	26,524	26,265	28,194	26,994
मणिपुर	14,470	20,377	16,944	17,264
मेघालय	14,646	15,621	17,838	16,035
मिजोरम	18,359	22,404	22,971	21,245
नागालैंड	17,495	21,771	22,142	20,469
उड़ीसा	10,760	10,988	11,955	11,234
पंजाब	26,453	28,093	29,544	28,030
राजस्थान	14,622	14,676	15,878	15,059
सिक्किम	17,736	21,588	23,462	20,929
तमिलनाडु	21,123	23,397	23,242	22,587
त्रिपुरा	15,925	18,843	22,154	18,974
उत्तर प्रदेश	10,459	10,669	11,265	10,798
उत्तरांचल	14,807	18,427	17,761	16,998
पश्चिम बंगाल	16,090	17,051	18,989	17,377
सभी राज्य	**16,184**	**16,858**	**17,892**	**16,978**

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

अनुबंध 7.8
(पैरा 7.30)

राज्यों का क्षेत्रफल

राज्य	**क्षेत्रफल ("000 वर्ग कि.मी.)**	**राज्य का मूल हिस्सा(%)**	**राज्य का समायोजित भाग (%)**
आंध्र प्रदेश	275.05	8.40	7.14
अरुणाचल प्रदेश	83.74	2.56	2.17
असम	78.44	2.39	2.03
बिहार	94.16	2.87	2.44
छत्तीसगढ़	135.19	4.13	3.51
गोवा	3.70	0.11	2.00
गुजरात	196.02	5.98	5.08
हरियाणा	44.21	1.35	2.00
हिमाचल प्रदेश	55.67	1.70	2.00
जम्मू और कश्मीर	222.24	6.78	5.76
झारखंड	79.71	2.43	2.07
कर्नाटक	191.79	5.85	4.98
केरल	38.86	1.19	2.00
मध्य प्रदेश	308.25	9.41	8.00
महाराष्ट्र	307.71	9.39	7.98
मणिपुर	22.33	0.68	2.00
मेघालय	22.43	0.68	2.00
मिजोरम	21.08	0.64	2.00
नागालैंड	16.58	0.51	2.00
उड़ीसा	155.71	4.75	4.04
पंजाब	50.36	1.54	2.00
राजस्थान	342.24	10.45	8.88
सिक्किम	7.10	0.22	2.00
तमिलनाडु	130.06	3.97	3.37
त्रिपुरा	10.49	0.32	2.00
उत्तर प्रदेश	240.93	7.35	6.25
उत्तरांचल	53.48	1.63	2.00
पश्चिम बंगाल	88.75	2.71	2.30
सभी राज्य	**3,276.10**	**100.00**	**100.00**

स्रोतः जनगणना 2001, www.censusindia.net, नवम्बर 30, 2004.

अनुबंध 7.9
(पैरा 7.32)

कर जीएसडीपी अनुपात औसत 1999-2000 से 2001-02

राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.27
अरुणाचल प्रदेश	1.21
असम	4.29
बिहार	4.24
छत्तीसगढ़	6.38
गोवा	6.80
गुजरात	7.74
हरियाणा	7.78
हिमाचल प्रदेश	5.04
जम्मू और कश्मीर	3.92
झारखंड	4.85
कर्नाटक	8.18
केरल	7.81
मध्य प्रदेश	5.49
महाराष्ट्र	7.49
मणिपुर	1.14
मेघालय	3.25
मिजोरम	0.79
नागालैंड	1.17
उड़ीसा	5.16
पंजाब	6.73
राजस्थान	6.14
सिक्किम	4.04
तमिलनाडु	8.63
त्रिपुरा	2.12
उत्तर प्रदेश	5.45
उत्तरांचल	5.88
पश्चिम बंगाल	4.22
सभी राज्य	**6.54**

स्रोतः राज्य सरकारों के वित्त लेखे (विभिन्न निर्गम)

अनुबंध 7.10
(पैरा 7.33)

राजकोषीय आत्मनिर्भरता का सूचक

राज्य	स्व राजस्व/राजस्व व्यय(प्रतिशत)		सभी राज्यों के सापेक्ष (अनुपात)		सुधार सूचक
	औसत 1993-94 से 95-96	औसत 2000-01 से 02-03	औसत 1993-94 से 95-96	औसत 2000-01 से 02-03	(अनुपात)
आंध्र प्रदेश	59.22	59.46	1.04	1.18	1.14
अरुणाचल प्रदेश	20.27	9.51	0.36	0.19	0.53
असम	30.24	32.66	0.53	0.65	1.23
बिहार	34.21	24.78	0.60	0.49	0.82
छत्तीसगढ़	56.68	58.24	0.99	1.16	1.17
गोवा	77.92	73.97	1.37	1.47	1.08
गुजरात	79.57	58.81	1.40	1.17	0.84
हरियाणा	75.48	77.62	1.32	1.55	1.17
हिमाचल प्रदेश	25.68	21.94	0.45	0.44	0.97
जम्मू और कश्मीर	16.93	21.10	0.30	0.42	1.42
झारखंड	34.21	54.36	0.60	1.08	1.81
कर्नाटक	73.62	61.52	1.29	1.23	0.95
केरल	63.69	54.24	1.12	1.08	0.97
मध्य प्रदेश	56.68	48.83	0.99	0.97	0.98
महाराष्ट्र	80.09	67.50	1.40	1.34	0.96
मणिपुर	9.45	7.49	0.17	0.15	0.90
मेघालय	19.74	19.35	0.35	0.39	1.11
मिजोरम	6.55	5.60	0.11	0.11	0.97
नागालैंड	9.44	6.85	0.17	0.14	0.82
उड़ीसा	37.56	34.32	0.66	0.68	1.04
पंजाब	69.59	57.71	1.22	1.15	0.94
राजस्थान	52.03	45.81	0.91	0.91	1.00
सिक्किम	16.30	18.24	0.29	0.36	1.27
तमिलनाडु	68.56	64.60	1.20	1.29	1.07
त्रिपुरा	10.22	13.76	0.18	0.27	1.53
उत्तर प्रदेश	42.55	41.48	0.75	0.83	1.11
उत्तरांचल	42.55	37.19	0.75	0.74	0.99
पश्चिम बंगाल	50.70	32.20	0.89	0.64	0.72
सभी राज्य	**57.02**	**50.20**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

स्रोतः राज्य सरकारों के वित्त लेखे (विभिन्न निर्गम)